## श्रीमती सम्पति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी कोष न्यास का विधान

## विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद की दिनांक 4 अप्रेल,2021 को आयोजित आमसभा में पारित प्रस्तावों के अनुसार संशोधित विधान

| क0सं0 | मद | अनुमोदित संशोधन प्रावधान |
|---|---|---|
| 1 | **नाम** | इस कोष का नाम ''श्रीमती सम्पति देवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष न्यास'' होगा तथा इसका संचालन विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के माध्यम से किया जावेगा। |
| 2 | **कार्यक्षेत्र** | इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान प्रान्त होगा । |
| 3 | **कार्यालय** | ''न्यास'' का प्रधान कार्यालय ''संगम'' विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर, जयपुर पर होगा । आवश्यकतानुसार इसकी शाखायें राजस्थान के किसी भी भाग में संभागीय/जिला स्तर पर खोली जा सकेंगी। |
| 4 | **उद्देश्य** | ''न्यास'' का उद्देश्य विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद सदस्यों एवं उनके परिवारजन को प्राथमिकता देते हुये विजयवर्गीय समाज के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जरूरतमंद–<br>1–विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करना ।<br>2–असाध्य रोग से पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।<br>3–छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सहायता प्रदान करना ।<br>4–व्यक्तियों को मानवीय आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
| 5 | **न्यास का स्थाई स्वरूप (गठन) :** | ''न्यास'' के विधान क्रमांक 4 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास का संचालन एक पॉच सदस्सीय समिति जिसे संचालन समिति कहा जावेगा, द्वारा किया जावेगा। संचालन समिति जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, का स्वरूप निम्नानुसार होगा–<br>1–संयोजक 1 पद<br>2–सह–संयोजक 1 पद<br>3–सचिव 1 पद<br>4–कोषाध्यक्ष 1 पद<br>5–सदस्य 1 पद<br>क– संचालन समिति का संयोजक विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद का अध्यक्ष होगा । जिसे न्यास की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। परिषद अध्यक्ष द्वारा जब तक न्यास की सदस्यता नहीं लेता है उस स्थिति में सह–संयोजक (न्यासी) संयोजक का कार्य करेगा एवं उसे संयोजक के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे ।<br>ख– संचालन समिति का सह–संयोजक न्यास में सर्वाधिक राशि का अनुदान देने वाले प्रथम एवं द्वितीय दानदाताओं द्वारा नामित परिवार के सदस्य के रूप में से किया जावेगा।<br>ग– संचालन समिति के सचिव, कोषाध्यक्ष एवं एक सदस्य पद पर मनोनयन इस समिति के संयोजक द्वारा सभी दानदाताओं (न्यासी) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों में से किया जोवगा।<br>घ–उपरोक्त संचालन समिति आवेदकों से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित कर अन्तिम निर्णय हेतु अधिकृत होगी। |
| 6 | **न्यास की सदस्यताः** | 1– रूपये 50 हजार या अधिक राशि देने वाले विजयवर्गीय समाज का व्यक्ति न्यास का स्थाई (आजीवन) सदस्य होगा जो न्यासी कहलायेंगे ।<br>2–स्थाई सदस्य के निधन होने की स्थिति में उनके परिवार का वरिष्ठ सदस्य न्यास का स्थाई (आजीवन) सदस्य रहेगा । |
| 7 | **न्यास की निधि** | 1– न्यास की निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी।<br>2–इस निधि की मूल राशि खर्च न की जाकर प्राप्त समस्त राशि की एफडी कराई जाकर उससे प्राप्त ब्याज राशि का उपयोग न्यास की धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये खर्च की जावेगी। |
| 10 | **बैठक एवं कोरम** | मद का नाम बैठक एवं कोरम के स्थान पर ''न्यास की आम सभा'' किया जाये<br>1–न्यास की आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी ।<br>2–बैठक का कोरम कुल न्यास सदस्यों की संख्या का 1/3 रहेगा ।<br>3–स्थगित बैठक में कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी। |
| 11 | **न्यास संचालन समिति की बैठक व कोरम** | 1–न्यास संचालन समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठक होगी।<br>2–बैठक में कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी ।<br>3–आवश्यकतानुसार न्यास संचालन समिति की कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी।<br>4–न्यास संचालन समिति न्यास की धारा 4 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये पात्र व्यक्ति,राशि व अवधि का निर्धारण कर सकेगी। |
| 13 | **उद्देश्य पूर्ति** | न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में आर्थिक सहयोग, सहायता तथा अनुदान प्रदान करने के लिये निम्नांकित प्रणालियों से किसी एक का अनुसरण किया जायेगा–<br>क–विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद के पदाधिकारियों की सिफारिश पर।<br>ख–परिषद/समाज की विधानान्तर्गत निर्वाचित इकाईयों के पदाधिकारियों की सिफारिश पर।<br>ग–न्यास संचालन समिति के संयोजक एवं न्यासी की सिफारिश पर । |
| 14 | **सदस्यता से वंचित** | यदि कोई सदस्य न्यास के नियमों का उल्लंघन करें अथवा उसके कार्यो में बाधा उत्पन्न करें तो **न्यास की आम** |

| | | |
|---|---|---|
| | **करना** | **सभा** में 2/3 बहुमत से उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी परन्तु कानूनी दृष्टि से अपात्रता अर्जन करने की स्थिति में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जायेगी। |
| **15** | **रिक्त स्थान की पूर्ति** | न्यास के सदस्यों द्वारा नामित व्यक्ति में से किसी के निधन अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुये स्थान की पूर्ति उनके द्वारा अन्य व्यक्ति को नामित कर इसकी पूति की जावेगी। |
| **16** | **बैंक से सम व्यवहार करने की अधिकार** | बैंक से धनराशि का संधारण न्यास संचालन समिति के संयोजक, सचिव व कोषाध्यक्ष में किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा । |
| **18** | **न्यास की समाप्ति** | किसी कारणवश यदि न्यास का उद्देश्य सफल नहीं हो एवं विधि सम्मत ढंग से इसका संचालन संभव नहीं हो तो न्यास भंग करने की घोषणा न्यास की आमसभा में 2/3 बहुमत से करेगी। न्यास भंग होने की स्थिति में न्यास निधि की शेष राशि संबंधित न्यासियों अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को उनके द्वारा दिये गये दान के अनुपात में लौटा दी जावेगा। |
| **19** | **पदाधिका रियों के कर्तव्य व अधिकार** | **संयोजक–**<br>1–न्यास की आम सभा व संचालन समिति बैठक की अध्यक्षता करेगा।<br>2–आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक आमत्रित करेगा।<br>3–न्यास के कार्य संचालन एवं कोष वृद्धि हेतु हर संभव प्रयास करेगा।<br>4–संचालन समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करेगा तथा करावेगा।<br>5– अपने कार्यकाल की अवधि समाप्ति के 3 माह पूर्व नई न्यास संचालन समिति हेतु स्थाई सदस्यों में से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे ।<br>**सह–संयोजक–**<br>1–संयोजक की अनुपस्थिति में संयोजक का कार्य करेगा ।<br>2–संयोजक द्वारा सौंपे गये दायित्व का निर्वहन करेगा ।<br>**मंत्री–**<br>1–न्यास का सम्पूर्ण रिकार्ड व्यवस्थित रखेगा । संयोजक की आज्ञा से न्यास संचालन समिति एवं न्यास आम सभा की बैठक आमंत्रित करेगा ।<br>2–न्यास की ओर से आवश्यक समस्त पत्र व्यवहार करेगा।<br>3–न्यास के हित में समस्त आवश्यक कार्य संपादित करेगा।<br>4–न्यास की गतिविधियों एवं प्रगति का विवरण प्रतिवर्ष न्यास आम सभा के सम्मुख रखेगा।<br>**कोषाध्यक्ष–**<br>1–न्यास कोष के समस्त हिसाब का विवरण रखेगा तथा प्रतिवर्ष उसका अंकेक्षण करवायेगा।<br>2–न्यास संचालन समिति को हिसाब से अवगत कराता रहेगा ।<br>3–कोष की वृद्वि के लिये प्रयास करेगा ।<br>4–प्रतिवर्ष न्यास आम सभा के समक्ष न्यास का अंकेक्षित आय–व्यय प्रस्तुत करेगा ।<br>**सदस्य–**<br>1–न्यास संचालन समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होकर अपना अभिमत रखेगा। |